

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग-8)

(दूरभाष 0141-2227229, Email Id : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/अनु-8/वीसी/2022

जयपुर, दिनांक :- 09-09-2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त, (राजस्थान)।

विषय :- संशोधित वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) दिनांक 14.09.2022 बाबत।

महोदय/महोदया,


उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.2022 को 3.00 बजे से 05.30 बजे तक ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु समिति कक्ष, उत्तर-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के माध्यम से (NIC द्वारा) बैठक आयोजित की जावेगी।

वी.सी. समीक्षा हेतु एजेण्डा निम्नानुसार रहेगा :-

क्रम संख्या	समय	चर्चा हेतु एजेण्डा	विभाग
1.	सायं 3.00 से 3.30 बजे तक	<ul style="list-style-type: none">प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा	शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2	सायं 3.30 से 5.30 बजे तक	<ul style="list-style-type: none">महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति पर चर्चा।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति पर चर्चा।सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अर्जित भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं लम्बित यूसी/सीसी पर चर्चा।	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग


उक्त समीक्षा बैठक में संबंधित राज्य स्तरीय विभागीय अधिकारी एवं जिला स्तर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) में अद्यतन सूचनाओं के साथ अनिवार्य रूप से भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय,


(बी. एल. वर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- 6 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 7 जिला कलक्टर समस्त।
- 8 परि. निदे. एवं शासन उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
- 9 परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, (एसएपी/मो0एवंमू0), ग्रामीण विकास।
- 10 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
- 11 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) को वी.सी. हेतु स्लोट आरक्षित करने हेतु।
- 12 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि को जल-पान आदि की व्यवस्थार्थ।
- 13 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)